

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/9537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:कार्यालय जाप:**

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालिग्राफि ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एच नाम : 4026-RAM NAGINA PHARMACY COLLEGE VILL-MAJHAULI,POST-JHAROKALAN ( RENUKOOT DUDHI ROAD ) SONBHADRA-231208

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली 2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-आदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (लखनऊ प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा एच समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

**-कार्यालय आप-**

राष्ट्रीय मातृशिक्षा कार्यक्रम शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी कार्यालय और हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित स्तरीय मातृशिक्षा शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आगेदिन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/द्वारा से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि शक्ति अत्या कमी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एक ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में विस्तारित रूप फार्मैसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तुत रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श का निर्णय निर्णय लिया गया :-

विशेषी क्षेत्र में स्थापित विस्तारित इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एन सत्र 2020-21 हेतु पीएमसीआईए द्वारा सत्र नया अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएमसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रत्येक साल के समुदाय अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएमसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिने जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-9-2020 को आर्य समाज संस्था समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं सत्र अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का क्षेत्र	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएमसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीएमसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	बुध	इन सत्रीय फार्मैसी अतिरिक्त विस्तार मातृशिक्षा, सत्र-2020-21 (संस्था: दुधरी, बंग) संस्था।	अतिरिक्त इन फार्मैसी	00	00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एमआईसीआईए/पीएमसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विस्तारित लखनऊ से सम्बद्धता हेतु सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹50-45,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु ₹50-22,50,00,00 प्रतिवर्ष शुल्क की अत्यंत कम/अभाव से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं की शुल्क के सम्बद्धता में लखनऊ-लखनऊ पर प्रदान किया निर्णय किये जाने वाले मातृशिक्षा प्रभावी हैं, और तदनुसार कार्यवाही किया

*(Handwritten signature)*

